

**भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या 286**

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

**‘अच्छा खाना सीखें’ कार्यक्रम**

**286. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने बच्चों के पोषण से संबंधित विभिन्न विषयों/एजेंडों के संबंध में संगोष्ठियां और अन्य चर्चाएँ/बैठकें आयोजित की हैं, जिनमें ‘अच्छा खाना सीखें’: ‘जैव-विविध आहार’ तथा ‘परिवर्तन के वाहक युवा’ नामक यूएनईपी के कार्यक्रम भी शामिल हैं, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इससे एक ऐसे वैश्विक बदलाव का संकेत मिलता है कि भोजन और पोषण संबंधी शिक्षा में केवल कैलोरी की मात्रा को गिना जाना ही शामिल न हो बल्कि इससे विद्यालय जाने वाले बच्चों को ऐसे विकल्प चुनने में मदद मिले जो न केवल स्वयं उनके लिए बल्कि इस पृथ्वी के लिए भी फायदेमंद हों; और
- (ग) यदि हां, तो बच्चों को संतुलित पोषण प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और कितनी धनराशि संस्वीकृत और खर्च की गई है?

**उत्तर**

**महिला एवं बाल विकास मंत्री  
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)**

**(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।**

\*\*\*\*\*

**"अच्छा खाना सीखें कार्यक्रम" विषय पर दिनांक 08.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 286 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क) से (ग):** यूनेस्को की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 'अच्छा खाना सीखें': 'जैव-विविध आहार' तथा 'परिवर्तन के वाहक युवा' ('लर्न टू ईट वेल: बायोडाइवर्स डाइट्स एंड यूथ एज़ एजेंट्स ऑफ चेंज') एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम था जिसे यूनेस्को जीईएम रिपोर्ट, यूएनईपी और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन द्वारा फ्रांस में मार्च 2025 में न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ समिट के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर एक नई रिपोर्ट 'अच्छा खाना सीखें' ('लर्न टू ईट वेल') का विमोचन किया गया, जो पोषण के जीवन-चक्र दृष्टिकोण का समर्थन करती है, जिसे शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से जीवनभर के लिए सीखने की प्रणालियों में एकीकृत किया गया है, जिसमें पोषण और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए पेशेवर विकास अभियान तथा खाद्य उत्पादन में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए किसानों और शोधकर्ताओं को सशक्त बनाना शामिल है। (<https://unescochair-ghe.org/2025/03/18/26-march-2025-education-for-nutrition-and-biodiversity/>)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने समुदायिक भागीदारी, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार जैसी गतिविधियों के माध्यम से कुपोषण में कमी तथा स्वास्थ्य, तंदरूस्ती और इम्यूनिटी में सुधार के लिए मिशन पोषण 2.0 शुरू किया है। पोषण केवल भोजन करने तक सीमित नहीं है; बल्कि इसमें पोषक तत्वों का उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय आवश्यक है। इस प्रक्रिया पर स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच जैसे कारक प्रभाव डालते हैं। चूंकि कुपोषण से निपटने के लिए खाद्य, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और शिक्षा को शामिल करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि कुपोषण की समस्या को समेकित और प्रभावी तरीके से दूर किया जाए। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच परस्पर तालमेल स्थापित करके इसे दूर किया जा रहा है।

मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित परामर्श/बैठकों का आयोजन करता है जैसे चिंतन शिविर, क्षेत्रीय बैठकें, एपीआईपी बैठकें इत्यादि, जहां महिलाओं और बच्चों के पोषण स्थिति को सुधारने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा, स्वास्थ्यवर्धक भोजन और जीवनशैली के विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता पोषण कार्यक्रम में एडेड शुगर (अतिरिक्त चीनी) और नमक के उपयोग को कम करने की सलाह दी गई है। यह सलाह भी दी गई है कि परिष्कृत चीनी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो मिठास के लिए केवल गुड़ का उपयोग किया जाए। गुड़ का उपयोग कुल ऊर्जा के 5% से कम रखने की भी सलाह दी गई है ताकि अनावश्यक कैलोरी के अधिक सेवन से बचा जा सके। यह भी सलाह दी गई है कि सभी आयु और लिंग समूहों के लिए अधिक वसा, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों के उपयोग से बचा जाना चाहिए।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे मोटापे और गैर-संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए स्वस्थ जीवनशैली और आहार पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु अधिकारियों, क्षेत्रीय कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और समुदाय के लिए व्यापक रूप से लक्षित जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित करें। यह सलाह दी गई है कि इन प्रयासों में दैनिक आहार में खाने के तेलों के सेवन को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिसमें संतृप्त और ट्रांस वसा के सेवन को कम करना शामिल है।
- क्षेत्रीय आहार विविधता को बढ़ावा देने के लिए, 6 क्षेत्र-वार आहार चार्ट तैयार किए गए हैं जैसे उत्तर, उत्तर-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और मध्य। प्रचार-प्रसार के लिए क्षेत्र-वार आहार चार्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर अंग्रेजी और हिंदी में अपलोड किए गए हैं।
- आहार विविधता पौष्टिक परिणाम प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण कार्यनीति है। मिशन पोषण 2.0 के तहत, स्थानीय रूप से उगाए गए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के सेवन के माध्यम से आहार विविधता को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पोषण वाटिकाएं हैं (न्यूट्री गार्डन) जिनके माध्यम से जहाँ स्थानीय रूप से उगाई गई तथा पौष्टिक सब्जियों और फलों के लाभ आसानी से महिलाओं और बच्चों तक पहुँचाए जा सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, 7वें पोषण पखवाड़ा (8-22 अप्रैल 2025) के दौरान, "बच्चों में मोटापा को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवनशैली" नामक एक विशिष्ट विषय अपनाया गया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस विषय पर 1.14 करोड़ सामुदाय आधारित जागरूकता गतिविधियों की रिपोर्ट की गई।
- इस मिशन के अंतर्गत की गई प्रमुख गतिविधियों में से एक सामुदायिक जुटाव और जागरूकता अभियान है ताकि लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित किया जा सके क्योंकि पोषण संबंधी अच्छी आदतों को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन हेतु निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। समुदाय-आधारित कार्यक्रमों

(सीबीई) ने पोषण संबंधी पद्धतियों में बदलाव लाने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में कार्य किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर माह दो सीबीई कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं। जन-आंदोलन के अंतर्गत वर्ष 2018 से पोषण पखवाड़ा और राष्ट्रीय पोषण माह क्रमशः मार्च-अप्रैल और सितंबर में मनाया जाता है। अब तक, कुल 7 पोषण माह और 7 पोषण पखवाड़ा आयोजित किए जा चुके हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 18 से अधिक भागीदार मंत्रालयों/विभागों के समन्वय से मातृ पोषण के महत्व, स्तनपान के उचित तौर-तरीके, पूरक आहार की समय पर शुरुआत का महत्व, जीवन के पहले 1000 दिन, पोषण के पांच सूत्र, एनीमिया, जनजातीय लोगों को जागरूक करना, मिलेट्स को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण, ईसीसीई इत्यादि सहित विभिन्न विषयगत क्षेत्रों के आसपास 140 करोड़ से अधिक आउटरीच गतिविधियों की सूचना दी है।

- बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-11 में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जिसमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा सूक्ष्म पोषक तत्व (कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहार फोलेट, विटामिन-ए, विटामिन-बी6 और विटामिन बी-12) प्रदान किए जाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने तथा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन तथा टेक होम राशन तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।
- पोषण ट्रेकर एप्लिकेशन महत्वपूर्ण व्यवहार और सेवाओं पर परामर्श वीडियो भी प्रदान करता है जो बच्चे की जन्म की तैयारी, प्रसव, प्रसव के बाद देखरेख, स्तनपान, और पूरक आहार पर संदेशों का प्रसार करने में मदद करता है।

सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधि का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

## अनुलग्नक

"अच्छा खाना सीखें कार्यक्रम" के संबंध में दिनांक 08.08.2025 के लोक सभा प्रश्न संख्या 286 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत जारी निधि का ब्यौरा इस प्रकार है:

| क्र.सं. | राज्य का नाम                      | 2024-25                  |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|
|         |                                   | जारी निधि<br>(करोड़ में) |
| 1       | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह      | 9.63                     |
| 2       | आंध्र प्रदेश                      | 645.73                   |
| 3       | अरुणाचल प्रदेश                    | 102.61                   |
| 4       | असम                               | 2482.34                  |
| 5       | बिहार                             | 2262.92                  |
| 6       | चंडीगढ़                           | 14.56                    |
| 7       | छत्तीसगढ़                         | 733.3                    |
| 8       | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 9.13                     |
| 9       | दिल्ली                            | 160.41                   |
| 10      | गोवा                              | 13.44                    |
| 11      | गुजरात                            | 601.32                   |
| 12      | हरियाणा                           | 232.69                   |
| 13      | हिमाचल प्रदेश                     | 313.07                   |
| 14      | जम्मू और कश्मीर                   | 662.79                   |
| 15      | झारखंड                            | 496.95                   |
| 16      | कर्नाटक                           | 886.85                   |
| 17      | केरल                              | 435.74                   |
| 18      | लद्दाख                            | 18.89                    |
| 19      | लक्षद्वीप                         | 1.35                     |
| 20      | मध्य प्रदेश                       | 1144.54                  |
| 21      | महाराष्ट्र                        | 1368.84                  |
| 22      | मणिपुर                            | 342.87                   |

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2024-25                  |
|---------|--------------|--------------------------|
|         |              | जारी निधि<br>(करोड़ में) |
| 23      | मेघालय       | 137.93                   |
| 24      | मिजोरम       | 55.29                    |
| 25      | नागालैंड     | 147.01                   |
| 26      | ओडिशा        | 948.16                   |
| 27      | पुद्दुचेरी   | 3.68                     |
| 28      | पंजाब        | 265.48                   |
| 29      | राजस्थान     | 741.85                   |
| 30      | सिक्किम      | 18.07                    |
| 31      | तमिलनाडु     | 638.47                   |
| 32      | तेलंगाना     | 430.76                   |
| 33      | त्रिपुरा     | 153.41                   |
| 34      | उत्तर प्रदेश | 2694.62                  |
| 35      | उत्तराखंड    | 216.33                   |
| 36      | पश्चिम बंगाल | 1513.8                   |
| कुल     |              | 20904.83                 |

\*\*\*\*\*